

फर्द अहकाम

जगदीश

बनाम

राजलाल सराव

मालय

ग 219/2022

दिनांक आंजा या कार्यवाही

आंजा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

17/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उद्यमपत्री उद्य
 वकील वाही व अत्रेवारी लज्जा 2 रुप दिव्यो
 वकील उद्यमपत्री नी वद्यमपत्री उद्यो वाही व
 वाड लोकाट विक्रय वास्वदे। @ हृत विधि
 पुपक ले लिखामा वास्व सुनाय उद्य
 पत्रावली उद्य नम्य व उद्य दीव्य वाड
 उद्यनीन उद्यिव उद्यर उद्य

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अंतिम डिक्री मुकदमा इवतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाव्वा दीवानी)

अदालत उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर (द्वितीय) मुकाम सांगानेर जयपुर व इजलास
अधीकारी का नाम:-श्री हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 219 / 2022 (102 / 2015)
निर्णय दिनांक : 17.06.2025

उनवान

जगदीश प्रसाद पुत्र प्रभात
रामेश्वर प्रसाद पुत्र प्रभात
जातियान वागडा ब्राम्हण निवासीयान महासिंहपुरा उर्फ कपुरावाला, तहसील सांगानेर जिला
जयपुर (रा0)

-वादीगण

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर(राज0)
मै0 बोरडिया बालाजी विल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय शॉप नम्बर 15 राधा
स्वामी नगर, इस्कॉन रोड मानसरोवर जयपुर (राज0)

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत दुरुस्ती किस्म एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर
द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम महासिंहपुरा
उर्फ कपुरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0) के हाल खसरा नं0 173 रकबा 0.
14 है0, गै0मु0 आबादी खसरा नं0 174 मि0 रकबा 0.04 है0 गै0मु0आबादी, खसरा नं0 176
मि0 रकबा 0.04 है0 गै0मु0आबादी की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज किये जाने के आदेश दिये
जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त
आराजी मे वादीगण के गै0मु0 आराजीयात मे बने मकानात के उपयोग उपभोग मे मजाहमत
मदाखलत पेदा नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, आन जान, उपयोग
उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे ऐसा प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे और ना ही एजेन्ट,
सर्वेन्ट परिवारजन रिश्तेदार आदि से नही करे. ना करावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.06.2025 को जारी
की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | 1 | 00 |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
पथपुर द्वितीय (सांगानेर)

| क्रमांक आशा या कार्यवाही | आज्ञाविरुद्ध रूप से | विशेष विवरण |
|--------------------------|---|-------------|
| 20/5/25 | <p>पत्रावली पेशा हुई। वकील उमरपक्ष उपा वादी की ओर से (1784 पेशा नहीं) काडी को साक्ष्य पेश काले हेतु न्यायदिवस में एक ओर अन्तिम आवक दिना पेशा है। पत्रावली दि. 2/6/25 को पेशा है।</p> | |
| 3/6/25 | <p>उपस्थित अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई दि. 03/06/25 साहब अन्य कारणों से वास्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 2/6/25 को पेश हों।</p> | |
| 1/6/25 | <p>पत्रावली पेशा हुई वकील उमरपक्ष उपा वादी को साक्ष्य पेश करते हेतु न्यायदिवस में एक ओर अन्तिम आवक दिना जाता है पत्रावली दिनांक इतना लिखने या पत्रावली को अवलोकन सिद्ध वादी भी साक्ष्य पूरा है। यदि है, वकील वादी व ओर साक्ष्य कसना कराना नहीं चाहते हैं वास्त अन्तिम दिना है। दिनांक 1/6/25 को पेशा है।</p> <p>उपस्थित अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p> | |
| 6/25 | <p>पत्रावली पेशा हुई। वकील उमरपक्ष उपा उमरपक्षकारान की अन्तिम अन्तिम अन्तिम वादीगण व वारु स्वीकार लिख जाता है। विरुद्ध निष्पत्ति एवं पत्रावली दिनांक पृथक् से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्प नाम्ना से काम होकर वारु तत्काल दाखिल दफ्तर है।</p> | |